न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 34/2015 G.C.M.S. No. 2015/00571 दर्ज दिनांक : 28.05.2015

अपीलार्थिगणः

1. प्रतापसिंह पुत्र जेठमल उर्फ जेठुसिंह
2. गोविंदसिंह पुत्र प्रतापसिंह
3. ओमप्रकाश पुत्र प्रतापसिंह
4. मदनसिंह पुत्र जसराज
5. फुसासिंह पुत्र पुखराज
6. सोहनसिंह पुत्र पुखराज, समस्त जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण ठाकुरला, तहसील पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली।
2. नायब तहसीलदार, पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/2015 बअनवान प्रतापसिंह वगैरह बनाम तहसीलदार पाली में पारित आदेश दिनांक 22.05.2015

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 23.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/2015 बअनवान प्रतापसिंह वगैरह बनाम तहसीलदार पाली में पारित आदेश दिनांक 22.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट्स की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत निषेधाज्ञा एवं एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया था कि अपीलाण्ट्स के सहखातेदारी की काश्त व कब्जाशुदा कृषि भूमि ग्राम ठाकुरला के खसरा नम्बर 110 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। अपीलाण्ट्स संख्या एक से तीन पिता–पुत्र है, जिनका उपरोक्त भूमि में 1/16 एवं 1/128वां हिस्सा, अपीलाण्ट्स संख्या चार का 1/4 एवं 1/128वां हिस्सा, अपीलाण्ट्स संख्या पांच व छः का 1/4 एवं 1/128वां हिस्सा खातेदारी का स्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बर 110 की भूमि ग्राम ठाकुरला से ग्राम सोड़ावास जाने वाली सड़क खसरा नम्बर 179 से चिपती स्थित है। खसरा नम्बर 110 में अपीलाण्ट्स के अलावा अन्य और कई व्यक्ति सहखातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है, जिनके विरुद्ध अपीलाण्ट्स का कोई अनुतोष नहीं है, इसलिए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट्स एवं अन्य सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति से अर्सेदराज पूर्व विभाजन हो रखा है। विभाजन के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर 179 से चिपते खसरा नम्बर 110 की भूमि पर अपीलाण्ट्स व अन्य सहखातेदारों के कृषि प्रयोजनार्थ बाड़े बने हुए है, जिसका उपयोग कृषि उपज रखने, कृषि सामान रखने, लकड़ी, चारा, इत्यादि रखने हेतु उपयोग में अर्सेदराज से अर्थात् कई दशकों से लेते रहे हैं तथा अन्दर की भूमि पर अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते रहे हैं। अपीलाण्ट्स को परेशान करने की नियत से कुछ लोगों ने जान–बुझकर झूठी शिकायते इस आशय की रेस्पोडेन्टस के कार्यालय में की कि अपीलाण्ट्स ने खसरा नम्बर 179 की सरकारी गैरमुमकीन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए बाड़े बना दिये है, जिस पर रेस्पोडेन्ट की ओर से अपीलाण्ट संख्या एक को खसरा नम्बर 179 में 2 बिस्वा भूमि पर तथा अपीलाण्ट संख्या चार से छः को खसरा नम्बर 179 में 3 बिस्वा भूमि पर बाड़े बनाने बाबत धारा 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत अलग–अलग प्रकरण दर्ज करते हुए नोटिस दिये। अपीलाण्ट संख्या एक एवं अपीलाण्ट संख्या चार से छः की ओर से उपरोक्त प्रकरणों में आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स के बाड़े एवं कब्जा खसरा नम्बर 179 की भूमि पर नहीं है, बल्कि खसरा नम्बर 110 की भूमि में ही हैं, इसलिए विधिनुसार खसरा नम्बर 110 का सम्पूर्ण सीमांकन किया जावें। खसरा नम्बर 110 का सम्पूर्ण सीमांकन किए जाने की स्थिति में उपरोक्त अपीलाण्ट्स के बाड़े खसरा नम्बर 110 की भूमि में ही आयेंगे, मौके पर खसरा नम्बर 110 का सम्पूर्ण रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा का सीमांकन कर अपीलाण्ट्स को पूर्णरूपेण बताया जावें। उपरोक्त प्रकरण बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या एक के कार्यालय से रेस्पोडेन्ट संख्या दो नायब तहसीलदार पाली के कार्यालय में अन्तरित किए गए, जहां वर्तमान में प्रकरण लम्बित है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो के कार्यालय में अपीलाण्ट्स की ओर से दिये गये आवेदन पर सीमांकन रिपोर्ट मंगवाई गई, जिस पर आर.आई. एवं पटवारी द्वारा बिना अपीलाण्ट्स को सूचित किए ही केवल खसरा 179 का एकतरफा नाप करते हुए अपीलाण्ट्स के बाड़े खसरा नम्बर 179 में बताते हुए बिना खसरा नम्बर 110 का नाप व सीमांकन किए रिपोर्ट पेश की, जिस बाबत अपीलाण्ट्स की ओर से आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 110 का सर्वप्रथम सीमांकन किया जावें, उसके बाद में विधिनुसार कार्यवाही की जावें। अपीलाण्ट्स के आवेदन को गलत रूप से राजनैतिक दबाव में आकर खारिज कर दिये, जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट्स की ओर से अलग–अलग निगरानी याचिका माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आदेश पारित किए गए कि सर्वप्रथम खसरा नम्बर 110 का सीमांकन किया जावें, तत्पश्चात् ही उपरोक्त प्रकरणों में कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

की जावें। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा एक टीम खसरा नम्बर 110 के सीमांकन हेतु गठित की गई, जिनके द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर मौके पर सीमांकन नहीं किया गया और यह लिख दिया कि खसरा नम्बर 110 में झाड़ियां खड़ी है इस कारण नापचौक सम्भव नहीं हैं, साथ ही पूर्व अनुसार ही अपीलाण्ट्स के उपयोग उपभोग के बाड़ों को खसरा नम्बर 179 का बताते हुए पूर्ववृत्त रिपोर्ट पेश कर दी। उपरोक्त आशय की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलाण्ट्स ने अपने स्तर पर मौके पर झाड़ियों की सफाई करवाई एवं पुनः नापचौक व सीमांकन खसरा नम्बर 110 का किए जाने बाबत निवेदन किया, लेकिन इस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा राजनैतिक प्रभाव एवं दबाव के कारण आदेश पारित नहीं किया एवं अपीलाण्ट्स के आवेदन को खारिज कर दिया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो से न्याय नहीं मिलने एवं प्रकरण को पाली जिले से बाहर अन्य जिले में अन्तरण करवाने के सम्बन्ध में 2 अलग–अलग अन्तरण याचिका अपीलाण्ट्स की ओर से माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में पेश की गई, जिसमें वर्तमान में अपीलाण्ट संख्या एक की अन्तरण याचिका लम्बित है और उसमें अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किया हुआ है, साथ ही अपीलाण्ट संख्या चार की अन्तरण याचिका को इस निर्देश के साथ माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निस्तारित किया गया था कि एक माह में अपीलाण्ट संख्या चार मौके पर सीमांकन किए जाने हेतु झाड़ियों को हटा को हटाकर सफाई कर दें तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः खसरा नम्बर 110 का सीमांकन करवाया जावें अन्यथा विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें। उपरोक्त आदेश की पालना में अपीलाण्ट संख्या चार से छः ने मौके पर पुनः बढ़ी हुई झाड़ियों को कटाकर सीमांकन हेतु सफाई करवाई और रेस्पोडेन्ट संख्या दो के कार्यालय में आवेदन पेश कर सूचित किया कि पुनः खसरा नम्बर 110 का अपीलाण्ट्स की उपस्थिति में सीमांकन करवाया जावें, जिस पर काफी समय तक तो सीमांकन हेतु आदेश पारित नहीं किया गया तत्पश्चात् दिनांक 27.04.2015 को पुनः सीमांकन हेतु आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश की प्रति अपीलाण्ट संख्या चार को प्रेषित की थी, उसमें भी सीमांकन हेतु कोई दिनांक अंकित नहीं हैं। उपरोक्त आदेश की पालना में पुनः पूर्व अनुसार ही सीमांकन हेतु गठित टीम ने राजनैतिक दबाव, प्रभाव, प्रलोभन में आकर मौके पर दिनांक 05.05.2015 को इस आशय की तैयार की कि खसरा नम्बर 110 के मध्य में कुछ अंग्रेजी बबुल की झाड़ियां काटी हुई हैं, बाकी जगह झाड़ियां खड़ी है इस कारण चौन लगाकर सर्वे किया जाना सम्भव नहीं हैं। इस आशय की मौका फर्द रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या दो के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी। इस संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में अंतरिम एकपक्षीय अनुतोष हेतु अपीलाण्ट्स ने निवेदन किया। जिसे बिना किसी आधार पर अपीलाण्ट्स का निवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अस्वीकार कर अंतरिम अनुतोष देने से इन्कार कर दिया। अपीलाण्ट्स के बाड़े पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से आज अनुरूप ही बने हुए हैं। अर्थात् पुश्तैनी बाड़े खसरा नम्बर 110 की भूमि में बने हुए है, जिसका उपयोग उपभोग अपीलाण्ट्स अर्सेदराज से अर्थात् कई दशकों से बतौर मालिक करते आ रहे हैं। वर्ष 2014 से पूर्व अपीलाण्ट्स को कभी भी उपरोक्त बाड़ों को खसरा नम्बर 179 का बताते हुए बेदखली हेतु कभी भी नोटिस नहीं दिये गये। वास्तव में बाड़े उपरोक्त खसरा नम्बर 179 का भाग होते तो हर वर्ष अपीलाण्ट्स को धारा 91 के नोटिस दिये जाते। उपरोक्त बाड़ों की मौके की स्थिति देखी जाए तो स्पष्ट है कि बाड़े दशकों पुराने है, आज कोई नया कब्जा अथवा आधिपत्य किया हुआ नहीं हैं, बल्कि सेटल आधिपत्य है, जो मौके की मांठों व मांठों पर खड़े पेड़–पौधों से भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसलिए बिना किसी आधार के ही झुठी शिकायतें एवं राजनैतिक दबाव–प्रभाव के आधार पर विधिनुसार जांच किए बिना नहीं हटाया जा सकता, लेकिन रेस्पोडेन्ट्स इस बाबत आमादा है। जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति हो रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2015 को प्रकरण में प्रार्थीगण अपीलांट्स द्वारा की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन को अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. हस्तगत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं किया गया है तथा जब तक विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं कर दिया जाता तब तक न्यायालय हाजा द्वारा ऐसे प्रकरणों में अंतिम रूप से कोई निर्णय या अभिमत पारित नहीं किया जा सकता।
3. चूंकि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र जैरकार है, अतः अपील को इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर 90 दिवस के भीतर अंतिम रूप से निर्णित किये जाने, एवं तब तक वादग्रस्त आराजीयात की उभयपक्षकारान द्वारा मौके की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने व सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/2015 बअनवान प्रतापसिंह वगैरह बनाम तहसीलदार पाली में पारित आदेश दिनांक 22.05.2015 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण 90 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित करें, तब तक उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर पाली में दिनांक 20.04.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **23.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली